भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1408
दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 / 21अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

प्राकृतिक आपदा

†1408. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं कारण महिलाओं और लैंगिक अल्पसंख्यकों की कुल मौतों की संख्या का कोई रिकॉर्ड है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया के दौरान महिलाओं और लैंगिक अल्पसंख्यकों की विशिष्ट कमजोरियों और विशिष्ट आवश्यकताओं का संज्ञान लिया गया है;
(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए या उठाए जाने वाले संभावित उचित कदमों कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या उक्त मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में आपदाओं से सुरक्षा और लैंगिक रुप से संवेनशील लोगों के पुनर्वास को महिला सुरक्षा संबंधी धारा का मुख्य घटक माना गया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): चूंकि जमीनी स्तर पर बचाव संबंधी उपायों के कार्यान्वयन और मानव जीवन की क्षति का आकलन करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य की होती है, इसलिए बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के कारण महिलाओं और लैंगिक अल्पसंख्यकों की मौत समेत मौतों की कुल संख्या का ब्यौरा इस मंत्रालय द्वारा केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति-2009 का एक उद्देश्य समाज के संवेदनशील वर्गों की जरूरतों का ध्यान रखने के दृष्टिकोण के साथ सक्षम कार्रवाई और राहत सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति में प्रस्तावना, दृष्टिकोण और उद्देश्य, कार्रवाई एवं पुनर्निर्माण तथा रिकवरी सहित कई स्थानों पर संवेदनशील वर्गों के मुद्दों का समाधान किया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी)-

2019 में जेंडर आधारित, बच्चों, कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समुदायों, उम्र तथा दिव्यांग व्यक्तियों जैसे अधिक संवेदनशील समूहों से संबंधित मुद्दों का भी समाधान किया गया है।

भारत सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा विभिन्न आपदाओं संबंधी अपनी योजना, नीति और राष्ट्रीय दिशानिर्देशों में जेंडर आधारित मुद्दों सहित समाज के संवेदनशील वर्गों से संबंधित मुद्दों के संबंध में की गई महत्वपूर्ण कार्रवाइयां निम्नानुसार हैं: -

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम), 2009 :-
   i. नीति की प्रस्तावना में ही महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है।
   ii. नीति के अन्य अध्यायों, उदाहरणार्थ संस्थागत और कानूनी व्यवस्था, आपदा की रोकथाम, शमन और तैयारी, पुनर्निर्माण और रिकवरी आदि अध्यायों में भी महिलाओं के मुद्दों और उनकी भागीदारी का समाधान किया गया है। उक्त नीति में, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) में महिलाओं की भागीदारी का भी प्रावधान है।

2. एनडीएमए द्वारा जारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश - विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन और अन्य संबंधित मुद्दों के लिए एनडीएमए द्वारा जारी विभिन्न राष्ट्रीय दिशानिर्देशों में, महिलाओं के सरोकारों का व्यापक रूप से समाधान किया गया है।

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी), 2019 :-
   i. एनडीएमपी 2019 में सामाजिक समावेशन पर एक नया समर्पित अध्याय (अध्याय-4) निहित है, जिसमें अधिक संवेदनशील वर्गों के लिए डीआरआर के समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अध्याय में, महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए डीआरआर में लैंगिक मुद्दों का प्रमुखता से समाधान किया गया है।
   ii. एनडीएमपी 2019 की धारा 4.2 (सामाजिक समावेशन से संबंधित अध्याय) में लैंगिक परिप्रेक्ष्य और डीआरआर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसकी उप-धाराओं में महिलाओं के साथ-साथ ट्रांसजेंडरों से संबंधित मुद्दों का भी समाधान करते हुए जेंडर आधारित संवेदनशीलताओं (4.2.1) और यौन तथा लैंगिक अल्पसंख्यकों (4.2.2) पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
   iii. आपदा प्रबंधन योजना में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से, सामाजिक समावेशन से संबंधित अध्याय में एक उत्तरदायित्व ढांचे (धारा 4.8) का भी प्रावधान

किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है।

iv. महिलाओं सहित अधिक संवेदनशील वर्गों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक समर्पित अध्याय के अलावा, इस योजना के अंतर्गत योजना के विभिन्न अध्यायों में महिलाओं और लैंगिक मुद्दों का व्यापक रूप से समाधान किया किया है।

v. एएमसीडीआरआर 2016 के दौरान प्रस्तुत किए गए डीआरआर से संबंधित प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय एजेंडे के बिंदु संख्या 3 - "आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं का नेतृत्व और अधिक भागीदारी केंद्रित होनी चाहिए" में महिलाओं की भूमिका पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। एनडीएमपी 2019 के विकास में 'प्रधानमंत्री का 10 सूत्रीय एजेंडा' भी एक मार्गदर्शक शक्ति रहा है।

*****